

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा



(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0...19...../17-18

राज्य बनाम एटलस साईकिल

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख-सहित। 3
10.0.17	<p>पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में बसनही थाना कांड संख्या-22/17 दिनांक-10.03.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन एटलस साईकिल को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिस किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बसनही थाना कांड संख्या-22/17 दिनांक- 10.03.17 में बसनही थाना अन्तर्गत ग्राम-जमुनिया में गुप्त सूचना पर अभियुक्त राजेश महतो पे0 नुनुलाल महतो एवं उदय महतो पे0 स्व0 गणेशी महतो सा0- बिन्द टोली थाना-काशनगर ओ0पी0 जिला-सहरसा को एक एटलस कम्पनी की पुराना साईकिल सहित अवैध देशी महुआ शराब कुल 09 लीटर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त देशी शराब और जप्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया।</p> <p>राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन एटलस साईकिल से अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन एटलस साईकिल का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।</p> <p>विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ है। उक्त वाहन एटलस साईकिल से देशी महुआ शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।</p>	



	<p>विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन एटलस साईकिल का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः जब्त वाहन एटलस साईकिल को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को दें।</p> <p>इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।</p> <p> 10-8-17 समाहर्ता, सहरसा।</p>	<p> 10-8-17 समाहर्ता, सहरसा।</p>
--	---	---

समाहरणालय सहरसा
(जिला विधि शाखा)


ज्ञापांक 1203-2/विधि, दिनांक 17-08-2017

प्रतिलिपि- अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




12-08-2017
प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।